

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/4138

जयपुर, दिनांक: 19/09/2014

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत) (कलक्टर) राजस्थान।

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 – निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु कार्यक्रम एवं दिशा-निर्देश।

महोदय,

राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव माह जनवरी-फरवरी, 2015 में होने हैं। आम चुनावों से पूर्व मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 18 एवं राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय-3 के नियम 11 से 22 के अनुसार करवाया जाना है। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत के वार्ड, पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूचियाँ तैयार की जाएँगी। पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचक नामावलियों को जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रणाधीन रहते हुये तैयार करने, प्रकाशित करने तथा उनके संबंध में प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण कर मतदाता सूचियों को अंतिम रूप से तैयार करने का दायित्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 119 की उप धारा 5 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित किए गए अधिकारियों का है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों तथा उनकी सहायताार्थ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को अपने आदेश संख्या एफ. 4(3)(1)/पंचा/रानिआ/14/2147 दिनांक 29.04.2014 (परिशिष्ट-1) से नियुक्त किया जा चुका है।

राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 11 एवं 19 (1) के अन्तर्गत आयोग ने यह निर्णय लिया है कि, आगामी चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करवाया जाएगा एवं पंचायत की वार्डवार फोटोयुक्त मतदाता सूची विधानसभा की संदर्भ तिथि 1.1.2014 के आधार पर तैयार करवाई गई मतदाता सूची, जो पिछले लोकसभा चुनाव, 2014 में मार्च, 2014 तक अद्यतन है, के डेटाबेस के आधार पर तैयार करवाई जाएँगी। इस प्रकार तैयार की गई सूची से प्रारूप प्रकाशन करवाया जायेगा।

धारा 18 (1) के प्रावधानों के अनुसार निम्न तीन प्रकार की मतदाता सूचियाँ तैयार की जानी हैं:-

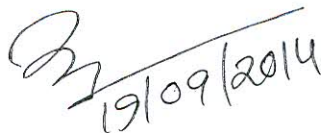
1. ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची।
2. पंचायत समिति के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची।
3. जिला परिषद के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची।

वार्डवार तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर पंचायत समिति तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियाँ तैयार की जाएँगी। इसका तात्पर्य यह है कि, पंचायत समिति/जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र में जो वार्ड (ग्राम पंचायत के वार्ड) आते हैं, उन सभी की मतदाता सूची को संकलित कर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार मान ली जावेगी। अतः पंचायत समिति/जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पृथक से मतदाता सूचियों की तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उक्त मतदाता सूचियों का प्रकाशन पृथक पृथक किया जाना है। मतदाता सूचियाँ अर्हता की तारीख 1 जनवरी, 2014 को आधार मानते हुए तैयार की जानी हैं।

A- विधान सभा की मतदाता सूची के डेटाबेस के आधार पर पंचायत की वार्डवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया :-

19/09/2014

1. आयोग स्तर पर एक स्टेट लेवल एजेन्सी (SLA) नियुक्त की गई है। एजेन्सी द्वारा इस उद्देश्य के लिए एक Software का निर्माण किया है। एजेन्सी ही उसका रख-रखाव व अनुसंधान करेगी। SLA उक्त सॉफ्टवेयर के द्वारा विधानसभा की मतदाता सूचियों के डेटाबेस को पंचायत के वार्ड की मतदाता सूची के रूप में विभाजित करेगी। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से कुछ सूचनाओं की आवश्यकता होगी। उक्त सूचनाएं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रगणकों के माध्यम से तैयार करवाएंगे। इन सूचनाओं के संकलन के लिए प्रपत्र-बी-1, सी-1, डी-1 एवं डी-2 (परिशिष्ट-2, 3, 4 एवं 5) तैयार किये गये हैं, जो संलग्न हैं। आयोग द्वारा आपको एक वेब एप्लीकेशन esuchi, जिसका url-esuchi.rajasthan.gov.in है, उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस वेब एप्लीकेशन में उक्त प्रपत्र-बी-1, सी-1, डी-1 एवं डी-2 को पूर्ण कर अपलोड करने की सुविधा है। प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय को esuchi.rajasthan.gov.in हेतु यूजर नेम एवं पासवर्ड ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा। आप इन प्रपत्रों को esuchi.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने के लिए प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय से दो सूचना सहायकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में आयोग मुख्यालय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये मास्टर ट्रेनर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में, इस हेतु कार्य कर रहे अन्य सूचना सहायकों को प्रशिक्षित करेंगे। जिनके द्वारा उक्त चारों प्रपत्रों को पूर्ण कर उक्त वेब एप्लीकेशन पर अपलोड किया जाएगा।
2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर इन सूचनाओं के संकलन एवं मतदाता सूची संबंधी आगामी समस्त तैयारी हेतु प्रगणकों की नियुक्ति की जाएगी। जहां तक संभव हो निर्वाचन विभाग द्वारा नियुक्त BLO को प्रगणक के रूप में नियुक्त किया जाए। प्रगणकों की नियुक्ति में यह ध्यान रखा जाए कि, संबंधित कर्मचारी किसी राजनीतिक दल एवं राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त/संलग्न नहीं हो। प्रगणकों को नियुक्त करने के बाद उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इस प्रशिक्षण में प्रगणकों को संलग्न प्रपत्रों में सूचना संकलित करने का तरीका भली-भांति समझाया जाए। प्रशिक्षण के तुरन्त बाद ही सूचना संकलन का वास्तविक कार्य शुरू कर दिया जाना चाहिए। इस कार्य में प्रशिक्षण दिवस सहित दो-तीन दिन के समय की ही आवश्यकता होगी। यह समस्त कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के मुख्यालय पर ही प्रगणकों को एक ही स्थान पर एकत्रित कर करवाया जाए ताकि यदि पंचायत के किसी वार्ड के मतदाता विधानसभा के एक से अधिक भागों में सम्मिलित हों तो प्रगणक उनके बारे में एक दूसरे को जानकारी देकर उन्हें पंचायत के लिए अलग-अलग वार्डों में विभाजित कर लें। यह ध्यान रखा जाए कि, पंचायत के किसी वार्ड में उसी वार्ड के मतदाता सम्मिलित रहें अन्य वार्डों के मतदाता नहीं। ऊपर अंकित प्रपत्रों में सूचना संकलित करने की प्रक्रिया में प्रगणकों को विधानसभा की मतदाता सूची, वार्डों का सीमांकन (परिसीमन) के आदेश की प्रति, वार्ड का नक्शा, प्रत्येक वार्ड का नजरी नक्शा तथा पंचायत की वर्तमान मतदाता सूची की आवश्यकता होगी जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणकों को उपलब्ध करवाई जायेगी।
3. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि, यदि परिसीमन आदेश में जो सीमाएं अंकित हैं, उससे यह पता नहीं चले कि कौन-कौन सी बस्ती/मौहल्ला या उसका कौनसा भाग उस वार्ड में हैं तथा वार्ड के नक्शे में भी यह पूरी तरह अंकित नहीं हो तो ऐसी स्थिति में पंचायत की वर्तमान मतदाता सूची के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि, वार्ड में कौन-कौन सी बस्ती/मौहल्ला या उसका कौनसा भाग उस वार्ड में हैं। इन सूचियों में कहीं-कहीं इनका नाम अंकित होने से छूटा हुआ हो सकता है। इस स्थिति में पंचायत की वर्तमान वोटर लिस्ट में मकान संख्या की नई श्रृंखला शुरू हो रही हो तो उनके वोटर्स के नामों का विधानसभा की मतदाता सूची के संबंधित भाग के वोटर्स के नामों की एकरूपता के आधार पर बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला का नाम पता लगाया जा सकता है। वार्ड में कौन-कौन सी बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला हैं यह पता लगाया जाना इसलिए आवश्यक है कि, विधानसभा की मतदाता सूची भाग, अनुभागों में विभाजित हैं जिनमें किसी ना किसी बस्ती/मौहल्ला या उसका भाग में उस वार्ड, के पूर्ण अथवा आंशिक भाग के मतदाता सम्मिलित हैं। इससे यदि कौन-कौन सी बस्ती/ मौहल्ला या


19/09/2014

उसका कौनसा भाग उस वार्ड में है, इसकी जानकारी है तो यह पता लगाने में आसानी होगी कि, विधान सभा के किस भाग के मतदाता किस वार्ड से संबंधित हैं।

4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं प्रगणक सर्वप्रथम विधानसभा की मतदाता सूची के किस भाग में किस-किस वार्ड के मतदाता सम्मिलित हैं, ये पता लगाएंगे। यदि इस कार्य में किसी तरह की कठिनाई महसूस हो तो सचिव ग्राम पंचायत व अन्य कर्मचारियों की सहायता ली जाए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए उचित रहेगा कि, प्रगणकों के प्रशिक्षण के दिन पंचायत के कर्मचारियों को भी उक्त प्रशिक्षण में बुला लिया जाए।
5. पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में आयोग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किये जा रहे हैं। पॉलिंग स्टेशन/मतदान बूथ की कम संख्या आवंटित करते समय यह ध्यान रखा जाए कि, यह कम संख्या 1 से शुरू होकर पूरे पंचायत समिति क्षेत्र के लिए लगातार होंगी।
6. प्रारूप B-1 में सूचनाओं को अंकित करने का तरीका:-
 - प्रपत्र में ऊपर पंचायत समिति, जिला परिषद, जिले का नाम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व प्रपत्र भरने वाले सूचना सहायक का नाम, ई-मेल एवं मोबाईल नंबर लिखा जाएगा।
 - कॉलम नं. 1 कम संख्या से संबंधित है।
 - कॉलम नं. 2 में ग्राम पंचायत का नाम लिखा जाएगा।
 - कॉलम नं. 3 में आपकी ग्राम पंचायत जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है, उस विधानसभा क्षेत्र का नंबर लिखना है।
 - कॉलम नं. 4 एवं 5 में पंचायत से संबंधित विधानसभा क्षेत्र के कौनसे भाग उपयोग में आयेंगे उनकी संख्या लिखनी है। उदाहरणार्थ- ग्राम पंचायत- रामनगर में विधानसभा क्षेत्र सं. 50 के भाग 48 से 52 तक उपयोग में आयेंगे। यह प्रारूप पंचायत समितिवार तैयार किया जायेगा।

ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन करने के लिए प्रारूप C-1 का निम्नानुसार उपयोग करें :-

- प्रपत्र में ऊपर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद एवं जिले का नाम लिखा जाएगा।
- कॉलम नं. 1 कम संख्या से संबंधित है।
- कॉलम नं. 2 में आपकी ग्राम पंचायत जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है उस विधानसभा क्षेत्र का नंबर लिखा जायेगा यथा 55
- कॉलम नं. 3 में जिस ग्राम पंचायत से संबंधित यह प्रपत्र है, उससे संबंधित विधानसभा क्षेत्र के भाग का नंबर अंकित किया जाएगा।
- कॉलम नं. 4 एवं 5 में कॉलम नं. 3 में अंकित भाग के मतदाताओं की कम संख्या (कहाँ से कहाँ तक) अंकित की जाएगी।
- कॉलम नं. 6 में कॉलम नं. 4 एवं 5 में अंकित मतदाता जिस वार्ड से संबंधित हैं उस वार्ड की संख्या लिखी जाएगी।
- कॉलम नं. 7 में कॉलम नं. 4 एवं 5 के कुल मतदाताओं की गणना स्वतः ही हो जाएगी। इसमें विलोपित मतदाताओं की संख्या भी शामिल होगी।

प्रारूप D-1 में सूचनाओं को अंकित करने का तरीका:-

- प्रपत्र में ऊपर पंचायत समिति, जिला परिषद एवं जिले का नाम लिखा जाएगा।
- कॉलम नं. 1 कम संख्या से संबंधित है।
- कॉलम नं. 2 में ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर लिखे जायेंगे।
- कॉलम नं. 3 में ग्राम पंचायत का नाम लिखा जाएगा।
- कॉलम नं. 4 में पॉलिंग स्टेशन के नंबर लिखे जायेंगे। उल्लेखनीय है कि, प्रत्येक ग्राम पंचायत वार्ड की कम संख्या 1 से शुरू होकर उसी पंचायत तक सीमित रहेगी, जबकि पॉलिंग स्टेशन की कम संख्या 1 से शुरू होकर पूरे पंचायत समिति क्षेत्र के लिए लगातार होगी।

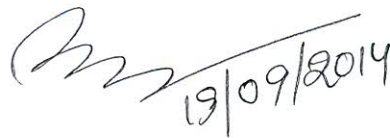

19/09/2014

- कॉलम नं. 5 में उस पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखी जायेगी जिससे संबंधित ग्राम पंचायत का विवरण कॉलम संख्या 3 में दिया गया है।
- कॉलम नं. 6 में उस जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखी जायेगी जिससे संबंधित ग्राम पंचायत का विवरण कॉलम संख्या 3 में दिया गया है।

प्रारूप D-2 में सूचनाओं को अंकित करने का तरीका:-

- प्रपत्र में ऊपर पंचायत समिति एवं जिला परिषद का नाम लिखा जाएगा।
- कॉलम नं. 1 में पोलिंग स्टेशन का नंबर अंकित किया जायेगा।
- कॉलम नं. 2 एवं कॉलम नं. 3 में पोलिंग स्टेशन का नाम क्रमशः हिन्दी एवं अंग्रेजी में लिखा जाएगा।

7. आयोग के आदेश क्रमांक 4086 दि. 17.9.2014 से सूचना सहायक (IA) की सेवाएँ अधिग्रहण करने हेतु तथा आदेश क्रमांक 3206 दिनांक 7.8.2014 से मैन्-विथ-मशीन की स्वीकृति आपकी मांग के अनुरूप जारी कर दी गई है। अतः आप तुरन्त सूचना सहायकों अथवा मैन्-विथ-मशीन की सेवाएँ प्राप्त करलें। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी इन्हीं की सहायता से उक्त प्रपत्रों की सूचनाओं को फीड करवाने एवं esuchi.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवाने की कार्यवाही करेंगे। मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् डेटा फीडिंग का कार्य भी सूचना सहायक ही करेंगे। इस समस्त कार्य को सूचना सहायक/मैन्-विथ-मशीन द्वारा अच्छे से सम्पादित किया जा सके इस हेतु आयोग मुख्यालय पर दिनांक 29, 30 सितम्बर, एवं 1 अक्टूबर 2014 को इनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है। इससे संबंधित सूचना पृथक से जारी की जा रही है।
8. आयोग ने आगामी पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के संबंध में यह निर्णय लिया है कि, पंच-सरपंच के लिए चुनाव एक साथ एक दिवस को तथा जिला परिषद-पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव एक साथ एक अन्य दिवस को एक चरण में होगा। इस स्थिति में प्रत्येक बूथ पर सामान्यतः 1400 मतदाता रखे जाएँ। चूंकि पंचायत चुनाव में प्रत्येक वार्ड एक निर्वाचन क्षेत्र होता है अतः पूरा-पूरा वार्ड एक ही बूथ पर रहेगा। अलग-अलग बूथों में विभाजित नहीं होगा। इस प्रकार प्रत्येक बूथ पर दो या अधिक पूरे-पूरे वार्ड के मतदाता ऊपर अंकित मतदाताओं की संख्या के अनुसार सम्मिलित होंगे।
9. उक्त समस्त कार्य (प्रपत्रों में सूचना संकलित करना एवं esuchi.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने तक का समस्त कार्य), जिन पंचायतों की सीमा परिसीमन की प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं हो रही हैं वहाँ 10 अक्टूबर तक तथा जहाँ परिसीमन के दौरान पंचायतीराज संस्थाओं की सीमाओं में परिवर्तन होगा, वहाँ के लिए यह कार्य 7 नवम्बर तक पूर्ण किया जाना है। esuchi.rajasthan.gov.in पर इस प्रकार प्राप्त सूचनाओं के आधार पर SLA द्वारा विधानसभा की मतदाता सूचियाँ के डेटाबेस के आधार पर पंचायतों की वार्डवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की जाएगी। तैयार की गई यह मतदाता सूची Softcopy में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को प्रूफ रीडिंग एवं उनके द्वारा प्रस्तुत संकलित सूचना के अनुसार तैयार की गई है अथवा नहीं, की जांच के लिए भेजी जाएगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी इसका सत्यापन करवाकर esuchi.rajasthan.gov.in पर संशोधनों की सूचना के साथ अपलोड करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी देंगे कि, उनके द्वारा इस प्रकार वार्डवार बनी मतदाता सूची का अवलोकन कर लिया है और वह सही है। इस प्रकार प्राप्त संशोधनों को समाहित करते हुए पंचायतों की वार्डवार मतदाता सूची पी.डी.एफ. के रूप में तैयार की जाएगी। जिसको esuchi.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जायेगा। उक्त सूचियों का आवश्यकतानुसार लेजर प्रिंटर से प्रिंट (Hardcopy) लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन करवाएँगे। मतदाता सूची (पी.डी.एफ. फाइल) से लेजर प्रिंट निकलवाने अथवा एक प्रति निकलवाकर आवश्यकतानुसार फोटो कॉपी करने हेतु प्रथमतः कार्यालय में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जावे। लेजर प्रिंटर की व्यवस्था


19/09/2014

कार्यालय में नहीं होने की दशा में नियमानुसार बाजार दर पर अथवा किराये के संसाधन प्राप्त कर मतदाता सूची की प्रतियां प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

10. निर्वाचन को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए मतदाता सूचियों का शुद्ध एवं अद्यतन होना आवश्यक है। प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में सही विवरण के साथ अंकित हो। इसका दायित्व प्रगणक से शुरू होकर जिला निर्वाचन अधिकारी तक का है। इस हेतु मतदाता सूची के तैयारी के हर स्तर पर पूर्ण सावधानी एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के यह निर्देश हैं कि, जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के स्तर से मतदाता सूचियों का निकटता एवं गहनता से पर्यवेक्षण किया जाए।
11. निर्वाचनों के समय मतदाता सूची में नाम नहीं होने, यहां तक कि कहीं-कहीं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम तथा एक बड़े क्षेत्र यथा मौहल्ला, गली के मतदाताओं के नाम गायब हो जाने की शिकायतें मिलती हैं। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद बहुतायत में मतदाताओं द्वारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कुछ समय पूर्व हुई विधानसभा व लोकसभा चुनावों हेतु किया गया होता है। इसके लिए मतदाता सूची तैयार करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया से विभिन्न स्तर पर अपने दायित्वों का सजगता से निर्वहन करने एवं उचित पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए।

B. मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं इसके बाद की तिथियां निम्नानुसार रहेगी:-

— :: कार्यक्रम :: —

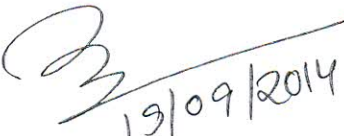
उन पंचायतीराज संस्थाओं के लिए जिनकी सीमाओं में परिवर्तन नहीं हो रहा है :-

क्र.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	10 नवम्बर, 2014 (सोमवार) को
2.	निर्वाचक नामावलियों का वाडों/मतदान केन्द्रों पर पठन	11 व 12 नवम्बर, 2014
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	19 नवम्बर, 2014 (बुधवार) को
4.	विशेष अभियान की तिथियाँ	15, 16 एवं 18 नवम्बर, 2014
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	28 नवम्बर, 2014 तक
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	8 दिसम्बर, 2014 तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	12 दिसम्बर, 2014 को

उन पंचायतीराज संस्थाओं के लिए जिनकी सीमा परिवर्तित हो रही है :-

क्र.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	20 नवम्बर, 2014 (गुरुवार) को
2.	निर्वाचक नामावलियों का वाडों/मतदान केन्द्रों पर पठन	21 व 22 नवम्बर, 2014
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	29 नवम्बर, 2014 (शनिवार) को
4.	विशेष अभियान की तिथियाँ	24, 25 एवं 29 नवम्बर, 2014
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	9 दिसम्बर, 2014 तक
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	18 दिसम्बर, 2014 तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	20 दिसम्बर, 2014 को

नोट :- उक्त तिथियाँ यह मानकर निर्धारित की गई हैं कि, पंचायतीराज संस्थाओं में परिसीमन का समस्त कार्य 30 अक्टूबर, 2014 तक पूरा कर लिया जायेगा। यदि 30 अक्टूबर, 2014 तक भी परिसीमन का कार्य पूर्ण नहीं होता है तो पंचायतीराज संस्थाओं की पुरानी सीमाओं के अनुसार ही जिला निर्वाचन अधिकारी/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपरोक्त वर्णित प्रपत्रों (B-1, C-1, D-1 & D-2) में सूचनाएँ संकलित कर esuchi.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दें। पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी चुनावों को नियत समय पर कराने के संवैधानिक


19/09/2014

दायित्व के चलते आयोग के लिए प्रारूप प्रकाशन की तिथियों में अब और परिवर्तन करना संभव नहीं होगा।

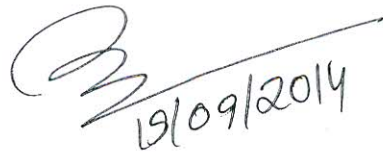
C. सामान्य निर्देश :-

1. राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा-18(2) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसकी आयु अर्हता की तिथि को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा जो संबंधित वार्ड का सामान्य तौर पर निवासी हो। सामान्य तौर पर निवासी के संबंध में स्पष्टीकरण धारा-18(2) में दिये हुये हैं। निर्वाचक नामावलियों को दिनांक 01.01.2014 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार किया जाना है। अतः जिस व्यक्ति की आयु 01.01.2014 को 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो, वह व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने का पात्र नहीं है।
2. राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 18(5) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नाम पंचायतीराज संस्थाओं में किसी एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता है तथा धारा 18(6) के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित नहीं हो सकता है। यह सम्भव है कि पंचायत क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम त्रुटिवश एक से अधिक बार सम्मिलित हो गया हो। ऐसे व्यक्ति का नाम उसी एक स्थान पर रहने दिया जावे, जहां के लिए वह पात्र है, तथा शेष स्थानों से उसका नाम काट दिया जाए। किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित नहीं किया जाए, जो भारतीय नागरिक नहीं है।
3. निर्वाचक नामावली वार्डवार तैयार की जायेगी। निर्वाचक नामावली के प्रारूप में आयोग द्वारा परिवर्तन किया गया है। प्रत्येक भाग की मतदाता सूची के ऊपर एक कवर पेज होगा जिसमें वार्ड से संबंधित विवरण होगा। इसके साथ वार्ड का नजरी नक्शा होगा तथा मतदाता सूची उसी प्रारूप में तैयार की जाएगी जैसा कि, विधानसभा की मतदाता सूची का प्रारूप निर्धारित है। सिर्फ शीर्षक में परिवर्तन किया जाएगा। शीर्षक में मतदाता सूची का वर्ष, जिला/जिला परिषद का नाम, जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या, पंचायत समिति का नाम, पंचायत समिति का निर्वाचन क्षेत्र संख्या, पंचायत सर्किल का नाम व संख्यांक, वार्ड संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम व संख्या, गाँव का नाम अंकित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जहां से भी नई बस्ती/मौहल्ला शुरू होगा उक्त विवरण के नीचे उसका नाम अंकित किया जाएगा। निर्वाचक नामावली में प्रत्येक पृष्ठ पर दोनों तरफ 30-30 मतदाताओं के नाम अंकित होंगे। इस तरह एक पृष्ठ पर कुल 60 नाम अंकित किए जाएंगे। निर्वाचक नामावली का प्रारूप संलग्न परिशिष्ट-6 में बताया गया है।
4. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार यदि किन्नर (थर्डजेण्डर) एवं लिंग रूपान्तरक (ट्रांस जेण्डर) मतदाता अपने आप को स्त्री अथवा पुरुष के रूप में प्रकट नहीं करना चाहें तो वे अपना लिंग 'अन्य' के रूप में वर्णित कर सकते हैं। उक्त प्रकार के मतदाताओं द्वारा चाहे जाने पर उनके लिंग के कॉलम में 'अन्य' अंकित किया जाए। आयोग द्वारा इस हेतु संबंधित सभी प्रपत्रों में यथा स्थान आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।
5. मुद्रित सूचियों में से पूर्वोक्त तीन प्रकार की मतदाता सूचियों का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशन, राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के 12 के अनुसार अलग-अलग किया जायेगा। सूची के साथ प्रकाशित होने वाला नोटिस (परिशिष्ट-7) संलग्न है। ग्राम पंचायतों के वार्डों की मतदाता सूची का प्रकाशन, पंचायत कार्यालय तथा संबंधित वार्ड में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा। पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रकाशन, पंचायत समिति कार्यालय तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा। इसी


20/09/20
19/09/2014

प्रकार जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का प्रकाशन, जिला परिषद कार्यालय तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा।

6. निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत यह भी प्रावधान है कि, मतदाता सूची निःशुल्क निरीक्षणार्थ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यालय में भी उपलब्ध कराई जावे। अतः दावे/आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि पर्यन्त मतदाता सूची निरीक्षणार्थ उक्त कार्यालय में रखी जावे।
7. जिन पंचायतीराज संस्थाओं में परिसीमन में सीमाएँ अपरिवर्तित रहेंगी उनके लिए दिनांक 10 से 19 नवम्बर तक तथा जिन पंचायतीराज संस्थाओं में परिसीमन में सीमाएँ परिवर्तित होंगी उनके लिए दिनांक 20 नवम्बर, 2014 से 29 नवम्बर, 2014 तक दावे व आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित है। दावे व आपत्तियाँ प्ररूप I, II & III में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उक्त अवधि में प्रस्तुत करने के प्रावधान हैं। मतदान केन्द्रों के लिये पदाभिहीत अधिकारियों की नियुक्ति भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से मतदान केन्द्रों पर उक्त अवधि में दावे और आपत्तियाँ प्राप्त कर सकेंगे। प्रणकों को भी पदाभिहीत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
8. तैयार प्रारूप मतदाता सूची की प्रति सभी पदाभिहीत अधिकारियों को उपलब्ध करवाकर जिन पंचायतीराज संस्थाओं में परिसीमन में सीमाएँ अपरिवर्तित रहेंगी, उनके लिए दिनांक 11 एवं 12 नवम्बर तथा जिन पंचायतीराज संस्थाओं में परिसीमन में सीमाएँ परिवर्तित होंगी, उनके लिए दिनांक 21 एवं 22 नवम्बर को जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के मतदान केन्द्रों पर वार्ड सभायें आयोजित कर संबंधित भागों की निर्वाचक नामावलियों का पठन किया जायेगा। मतदाता सूची निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी, ताकि मतदाता इन निर्वाचक नामावलियों का अवलोकन कर या सुनकर नामावली की किसी प्रविष्टि के विवरण के संबंध में यदि कोई दावा/आपत्ति है, तो मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान तिथियों में अथवा 11 से 19 नवम्बर तथा 21 नवम्बर से 29 नवम्बर (उपर वर्णित कार्यक्रम अनुसार) के बीच अन्य तिथियों में आवेदन पत्र भरकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहीत अधिकारियों को दे सकें। अतः यह सुनिश्चित करलें कि, अभियान तिथियों को पदाभिहित अधिकारियों के पास पर्याप्त मात्रा में आवेदन पत्र (प्ररूप I, II & III) उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध करवाये जायेंगे। पठन-पाठन के उक्त कार्यक्रम में पंचायतों के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी भी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे व क्षेत्र के लोगों को कार्यक्रम की जानकारी भी देंगे।
9. मतदान केन्द्रों पर दावे व आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के लिए विशेष अभियान तिथियाँ दिनांक 15, 16 व 18 नवम्बर (जहाँ परिसीमन में सीमाएँ अपरिवर्तित रहेंगी), दिनांक 24, 25 एवं 29 नवम्बर, 2014 (जहाँ परिसीमन में सीमाएँ परिवर्तित होंगी) निर्धारित की गई है। इन दिनों पदाभिहीत अधिकारी पूरे दिवस को प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। शेष दिनों में आधा दिवस पूर्वाह्न या अपराह्न में उपस्थित रहेंगे।
10. नियम 12 (2) के अनुसार आपत्ति व दावे प्रस्तुत करने का समय 10 दिन निर्धारित है और इन्हें प्ररूप I, II & III में प्रस्तुत किया जावेगा। दावे व आपत्ति डाक द्वारा भी भेजी जा सकती हैं। यह प्रारूप राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 में विहित है। प्राप्त दावों व आपत्तियों की संक्षिप्त जांच की जाकर उनका निस्तारण किया जायेगा। दावों व आपत्ति हेतु मतदाताओं को समुचित मात्रा में प्ररूप निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जावे। यदि मुद्रित प्ररूप उपलब्ध नहीं हो तो फोटोप्रति अथवा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र उसी पेशानी में स्वीकार किये जा सकेंगे।

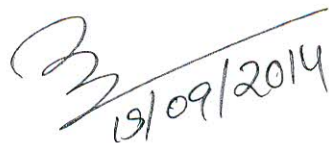

19/09/2014

11. प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का विवरण संलग्न प्रपत्र-3, 4, और 5 (परिशिष्ट-8) में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दो प्रतियों में प्रतिदिन तैयार किया जाये तथा एक प्रति कार्यालय के सूचना पट्ट पर तीन दिन तक प्रदर्शित की जावेगी।
12. दावे व आपत्तियां सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भी प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार प्राप्त दावे व आपत्तियों के बारे में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी उपरोक्त प्रपत्रों में सूचना, 2 प्रतियों में तैयार करवाकर एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा। इन प्रपत्रों में सुनवाई की तारीख समय और स्थान वही अंकित किया जावेगा जो कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निश्चित किया गया है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्राप्त दावे व आपत्तियों को उचित टिप्पणी के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास उसी दिन भेजेगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस प्रकार प्राप्त प्रकरणों की भी नोटिस बोर्ड पर निर्धारित प्रपत्र 3, 4 व 5 में सूची प्रदर्शित करेगा।
13. यदि किन्हीं दो या अधिक मतदाताओं के नाम व अन्य विवरण की समरूपता के आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह समाधान हो कि, यह एक ही व्यक्ति से संबंधित विवरण है तो वह प्रारूप प्रकाशन के बाद अपने स्वविवेक का उपयोग कर उक्त मतदाता का नाम एक स्थान पर रखते हुए शेष स्थानों से विलोपित किए जाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करे।
14. दावों व आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम-14 में बतायी गयी है। इसके अलावा नियम-15 व नियम-16 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से कार्य करने की प्रक्रिया भी बतायी गयी है। साथ ही किसी मतदाता के संबंध में आपको सूचना प्राप्त होती है कि, उसकी मृत्यु हो गई है अथवा उसके द्वारा उस वार्ड में अपना निवास स्थान छोड़ दिया गया है तो उक्त मतदाता का नाम, संदर्भित नियमों का पालन करते हुए, विलोपित सूची में अंकित कर दिया जाएगा। दावों व आपत्तियों के निस्तारण एवं स्वविवेक से नाम जोड़े या हटाये जाने की प्रक्रिया के पश्चात् निर्वाचक नामावलियों की फोटोयुक्त पूरक सूची वार्डवार तैयार की जायेगी और इसे esuchi.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जावेगा। इस प्रकार esuchi.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध निर्वाचक नामावली पूरक सूची सहित, लेजर प्रिंटर से प्रिंट (Hardcopy) लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूचियों की आवश्यकतानुसार फोटो प्रतियां करवाकर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार संलग्न प्रपत्र-6 में बताये गये प्रारूप में किया जावेगा (परिशिष्ट-9)। मतदाता सूची (पी.डी.एफ. फाइल) से लेजर प्रिंट निकलवाने अथवा एक प्रति निकलवाकर आवश्यकतानुसार फोटो कॉपी करने हेतु प्रथमतः कार्यालय में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जावे। लेजर प्रिंटर की व्यवस्था कार्यालय में नहीं होने की दशा में नियमानुसार बाजार दर पर अथवा किराये के संसाधन प्राप्त कर मतदाता सूची की प्रतियां प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
15. निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित रिकार्ड अर्थात् प्रारूप निर्वाचक नामावलियां, दावों/आपत्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उन पर दिया गया निर्णय और अंतिम रूप से तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों की प्रमाणित प्रति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा नियम-22 के प्रावधानों के अनुसार उसके कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।
16. नियम 22 (2) के प्रावधानों के अनुसार किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की नामावली की एक पूर्ण प्रति, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित हो, जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भी उस नामावली का अगला गहन पुनरीक्षण पूरा होने तक रखी जावेगी।
17. मतदाताओं के वार्डवार आंकड़े प्रणकों द्वारा तैयार कर निर्धारित प्रपत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे। इन आंकड़ों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण


19/09/2014

पदाधिकारी के कार्यालय में एक पत्रावली खोलकर उसमें पत्रित किया जावेगा। परिशिष्ट-10 पर बताये गये प्रपत्र (मतदाताओं की संख्या दावे/आपत्तियों के विवरण) में एक रजिस्टर वार्डवार संधारित किया जायेगा। इस रजिस्टर में पंचायत निर्वाचक नामावलियों से संबंधित आंकड़े यथा मतदाताओं की कुल संख्या, स्त्री, पुरुष व अन्य मतदाताओं की संख्या अंकित की जाकर मय गोश्वारे संकलित किये जायेंगे। निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के पश्चात उक्त रजिस्टर में संकलित आंकड़ों के आधार पर सांख्यिकी सूचना के स्टेटमेंट संख्या-1 (परिशिष्ट-11) में सूचना तैयार करवाकर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इन आंकड़ों से यह पता चलेगा कि, हाल में हुई लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची की तुलना में मतदाताओं में कितनी वृद्धि और कमी हुई है। असाधारण (Unusal) परिवर्तन की जांच जिला निर्वाचन अधिकारी व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं भी करें ताकि मतदाता सूची में कोई गलती ना रहे। यह सुनिश्चित किया जाए कि, मतदाता सूची में पात्र व्यक्ति का नाम जुड़ने से रह नहीं जाए व अपात्र का नाम नहीं रहे।

18. निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के समय तथा अंतिम प्रकाशन के समय नामावलियों का एक-एक सैट हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।
19. कार्यक्रम का विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान की तिथियों व कार्यक्रम को समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से तथा इस आशय की सूचना हेतु पम्फलेट वितरित करवाकर प्रचार/प्रसार किया जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को कार्यक्रम की तिथियों सहित पूर्ण जानकारी देने हेतु शाला प्रधानों को निर्देशित किया जाए ताकि विद्यार्थी अपने परिवारजनों को अवगत करा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अपने-अपने स्तर पर राजनैतिक दलों/स्वयं सेवी संस्थाओं की बैठक आयोजित कर उन्हें मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के कार्य से जोड़ें ताकि सभी योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकें।
20. मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के समय भी त्रुटियाँ रह जाने की संभावना रहती है। जिला निर्वाचन अधिकारी यह व्यापक प्रचार-प्रसार करवायें कि, यदि अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों में किन्हीं पात्र व्यक्तियों के नाम रह गये हों या गलत शामिल हो गये हों या कोई अशुद्धि रह गयी हो तो, उसका उपचार नियमों में विहित प्ररूप I or II or III में आवेदन पत्र/आपत्तियों प्रस्तुत कर किया जा सकता है। इस संबंध में प्रक्रिया नियम 20 में बतायी गई है। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूचियों के निरंतर अद्यतन (Continuous updation) हेतु नियम 20 में पर्याप्त प्रावधान हैं। नियम 20 के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वविवेक से या प्रार्थना पत्र के आधार पर नाम जोड़ने/हटाने/अंतरण करने की कार्यवाही एक विहित प्रक्रिया के अधीन की जा सकती है। इन प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत मतदाता सूचियों में कोई गड़बड़ी शेष नहीं रहे और आगामी चुनावों में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हों। नियम 20 के अंतर्गत निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया में नाम जोड़ने, हटाने, अंतरण करने या शुद्ध करने की कार्यवाही पंचायत चुनावों के लिए नियम 23 या 58 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने की तिथि तक की जा सकती है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि से मतदान समाप्ति तक मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस प्रकार जोड़े गये, हटाये गये या शुद्ध किये गये नामों की सूची पूरक-2 के नाम से बनायी जायेगी।
21. मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के प्रपत्र, दावे व आपत्तियों के प्रार्थना पत्र (प्ररूप I, II & III) आयोग द्वारा मुद्रित कराये जा चुके हैं। जिनका आवंटन आदेश पृथक से जारी किया जा रहा है।
22. मतदाता सूची तैयारी, प्रारूप प्रकाशन व अंतिम प्रकाशन में कम्प्यूटर स्टेशनरी, आवश्यक सामग्री कय हेतु प्रारम्भिक बजट आवंटन आदेश और मतदाता सूची की प्रारम्भिक तैयारी में लगे


19/09/2014

प्रगणकों व अन्य स्टॉफ को उचित पारिश्रमिक भुगतान के आदेश भी आयोग द्वारा शीघ्र जारी किये जा रहे हैं।

निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 तथा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 में उपलब्ध विधिक प्रावधानों एवं आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

आयोग समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से अपेक्षा करता है कि, अपने कार्य को उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार समय पर सम्पन्न करेंगे। मतदाता सूचियों में नाम छूटने या गलत नाम जुड़ने की व्यापक शिकायतें प्राप्त होती हैं तो आयोग राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 18-बी के अन्तर्गत संबंधित दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बाध्य होगा। इस धारा के प्रावधान को जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के ध्यान में लाए।

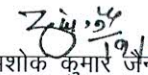
उक्त आदेश की एक-एक प्रति अपने जिले के संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार


(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक: 19/09/2014

क्रमांक: एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014/4139-47
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज0, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज0 जयपुर।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव/सहायक, सचिव/उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
7. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
8. कम्प्यूटर शाखा को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने तथा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल करने हेतु।
9. समस्त शाखाएं, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

(Email- secrajasthan@gmail.com, Web- rajsec.rajasthan.gov.in)

क्रमांक:एफ.4(3)(1)पंचा/रानिआ/14/ 2147

जयपुर, दिनांक: 29.04.2014

आदेश

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 119 की उप धारा 5 एवं 6 के उपबन्धों के अनुसरण में और अपने पूर्व आदेशों का अतिक्रमण करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, नीचे सारणी के स्तम्भ - 3 में विनिर्दिष्ट सरकारी अधिकारी एवं नीचे की सारणी के स्तम्भ - 4 में विनिर्दिष्ट सरकारी अधिकारी को, ऐसे अधिकारी के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ-1 में विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य के जिले में स्थित सारणी के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट पंचायत समिति क्षेत्र के लिये क्रमशः निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित करता है :-

सारणी

जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2	3	4
1. अजमेर	पीसांगन	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीसांगन	तहसीलदार, पीसांगन एवं पुष्कर
	श्रीनगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नसीराबाद	तहसीलदार, नसीराबाद एवं अजमेर
	जवाजा	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ब्यावर	तहसीलदार, ब्यावर एवं टाटगढ़
	मसूदा	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मसूदा	तहसीलदार, मसूदा एवं विजयनगर
	भिनाय	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भिनाय	तहसीलदार, भिनाय एवं टांटोटी
	केकडी	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, केकडी	तहसीलदार, केकडी एवं सावर
	अंराई	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सरवाड	तहसीलदार, अंराई एवं सरवाड
2. अलवर	किशनगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़	तहसीलदार, किशनगढ़ एवं रूपनगढ़
	तिजारा	उप खण्ड अधिकारी, तिजारा	तहसीलदार, तिजारा
	किशनगढ़बास	उप खण्ड अधिकारी, किशनगढ़बास	तहसीलदार, किशनगढ़बास
	कोटकासिम	उप खण्ड अधिकारी, कोटकासिम	तहसीलदार, कोटकासिम
	मुण्डावर	उप खण्ड अधिकारी, मुण्डावर	तहसीलदार, मुण्डावर
	बहरोड	उप खण्ड अधिकारी, बहरोड	तहसीलदार, बहरोड
	नीमराणा	उप खण्ड अधिकारी, नीमराणा	तहसीलदार, नीमराणा
	बानसूर	उप खण्ड अधिकारी, बानसूर	तहसीलदार, बानसूर
	थानागाजी	उप खण्ड अधिकारी, थानागाजी	तहसीलदार, थानागाजी
	रामगढ़	उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़	तहसीलदार, रामगढ़
	उमरैण	उप खण्ड अधिकारी, अलवर	तहसीलदार, अलवर
	राजगढ़	उप खण्ड अधिकारी, राजगढ़	तहसीलदार, राजगढ़
	रैणी	उप खण्ड अधिकारी, रैणी	तहसीलदार, रैणी
	लक्ष्मणगढ़	उप खण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़	तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़
3. बांसवाड़ा	कटूमर	उप खण्ड अधिकारी, कटूमर	तहसीलदार, कटूमर
	बांसवाड़ा ✓	उप खण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा	तहसीलदार, बांसवाड़ा
	तलवाड़ा	मु.	तहसीलदार, आबापुरा
	छोटी सरवन ✓	उप खण्ड अधिकारी, छोटी सरवन	तहसीलदार, छोटी सरवन
	गद्दी ✓	उप खण्ड अधिकारी, गद्दी	तहसीलदार, गद्दी
	घाटोल ✓	उप खण्ड अधिकारी, घाटोल	तहसीलदार, घाटोल
			तहसीलदार, गनोडा ✓
	बागीदोरा ✓	उप खण्ड अधिकारी, बागीदोरा	तहसीलदार, बागीदोरा
			तहसीलदार, गांगडतलाई
	आनन्दपुरी ✓	उप खण्ड अधिकारी, आनन्दपुरी	तहसीलदार, आनन्दपुरी
	कुशलगढ़ ✓	उप खण्ड अधिकारी, कुशलगढ़	तहसीलदार, कुशलगढ़
	सज्जनगढ़ ✓	उप खण्ड अधिकारी, सज्जनगढ़	तहसीलदार, सज्जनगढ़

जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2	3	4
4. बारां	बारां	उप खण्ड अधिकारी, बारां	तहसीलदार, बारां
	अन्ता	उप खण्ड अधिकारी, अन्ता	तहसीलदार, अन्ता एवं मांगरोल
	छबड़ा	उप खण्ड अधिकारी, छबड़ा	तहसीलदार, छबड़ा
	किशनगंज	उप खण्ड अधिकारी, किशनगंज	तहसीलदार, किशनगंज
	छीपाबडौद	उप खण्ड अधिकारी, छीपाबडौद	तहसीलदार, छीपाबडौद
	शाहबाद	उप खण्ड अधिकारी, शाहबाद	तहसीलदार, शाहबाद
	अटरु	उप खण्ड अधिकारी, अटरु	तहसीलदार, अटरु
5. बाड़मेर	बाड़मेर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़मेर	तहसीलदार, बाड़मेर एवं रामसर
	बायतु	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बायतु	तहसीलदार, बायतु, बाड़मेर एवं गिड़ा
	धोरीमन्ना	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, धोरीमन्ना	तहसीलदार, गुडामालानी, धोरीमन्ना एवं सेडवा
	सिणघरी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सिणघरी	तहसीलदार, सिणघरी, बाड़मेर एवं बायतु
	शिव	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, शिव	तहसीलदार, शिव एवं गडरारोड़
	बालोतरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा	तहसीलदार, पचपदरा
	सिवाना	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सिवाना	तहसीलदार, सिवाना एवं समदडी
	चौहटन	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चौहटन	तहसीलदार, चौहटन एवं सेडवा
6. भरतपुर	कामां	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कामां	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पहाड़ी तहसीलदार, कामां
	नगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नगर	तहसीलदार, नगर एवं पहाड़ी
	डीग	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डीग	तहसीलदार, डीग
	कुम्हेर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कुम्हेर	नायब तहसीलदार, जनुथर तहसीलदार, कुम्हेर
	सेवर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भरतपुर	नायब तहसीलदार, सारह तहसीलदार, भरतपुर
	रूपवास	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भुसावर	नायब तहसीलदार (प्रथम), भरतपुर तहसीलदार, रूपवास
	नदबई	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नदबई	नायब तहसीलदार, उच्चैन तहसीलदार, नदबई
	वैर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, वैर	नायब तहसीलदार, लखनपुर तहसीलदार, वैर एवं भुसावर
7. भीलवाड़ा	बयाना	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बयाना	तहसीलदार, बयाना नायब तहसीलदार, बयाना
	आसीन्द	उप खण्ड अधिकारी, आसीन्द	तहसीलदार, आसीन्द
	हुरडा	उप खण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा	तहसीलदार, हुरडा
	माण्डल	उप खण्ड अधिकारी, माण्डल	तहसीलदार, माण्डल
	रायपुर	उप खण्ड अधिकारी, रायपुर	तहसीलदार, रायपुर
	सहाडा	उप खण्ड अधिकारी, गंगापुर	तहसीलदार, सहाडा मु. गंगापुर
	सुवाणा	उप खण्ड अधिकारी, भीलवाडा	तहसीलदार, भीलवाडा
	बनेडा	उप खण्ड अधिकारी, बनेडा	तहसीलदार, बनेडा
	शाहपुरा	उप खण्ड अधिकारी, शाहपुरा	तहसीलदार, शाहपुरा
	जहाजपुर	उप खण्ड अधिकारी, जहाजपुर	तहसीलदार, जहाजपुर
	कोटडी	उप खण्ड अधिकारी, कोटडी	तहसीलदार, कोटडी
	माण्डलगढ़	उप खण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़	तहसीलदार, माण्डलगढ़

जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2	3	4
8. बीकानेर	खाजूवाला	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खाजूवाला	तहसीलदार, खाजूवाला
	लूनकरणसर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, लूनकरणसर	तहसीलदार, लूनकरणसर
	नोखा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नोखा	तहसीलदार, नोखा
	डूंगरगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगरगढ़	तहसीलदार, डूंगरगढ़
	बीकानेर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बीकानेर	तहसीलदार, भू-अभिलेख, बीकानेर
	कोलायत	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोलायत	तहसीलदार, कोलायत
9. बून्दी	बून्दी	उप खण्ड अधिकारी, बून्दी	तहसीलदार, बून्दी
	नैनवां	उप खण्ड अधिकारी, नैनवां	तहसीलदार, नैनवां
	केशोरायपाटन	उप खण्ड अधिकारी, केशोरायपाटन	तहसीलदार, केशोरायपाटन
	तालेडा	उप खण्ड अधिकारी, तालेडा	तहसीलदार, तालेडा
10. चित्तौड़गढ़	हिण्डोली	उप खण्ड अधिकारी, हिण्डोली	तहसीलदार, हिण्डोली
	भैंसरोड़गढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रावतमाटा	तहसीलदार, रावतमाटा
	बेगू	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बेगू	तहसीलदार, बेगू
	गंगरार	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गंगरार	तहसीलदार, गंगरार
	कपासन	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कपासन	तहसीलदार, कपासन
	भूपालसागर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कपासन	तहसीलदार, भूपालसागर
	राशमी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, राशमी	तहसीलदार, राशमी
	चित्तौड़गढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़	तहसीलदार, चित्तौड़गढ़
	निम्बाहेड़ा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, निम्बाहेड़ा	तहसीलदार, निम्बाहेड़ा
	भदेसर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भदेसर	तहसीलदार, भदेसर
	डूंगला	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगला	तहसीलदार, डूंगला
11. चूरू	बड़ीसादड़ी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बड़ीसादड़ी	तहसीलदार, बड़ीसादड़ी
	राजगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ़	तहसीलदार, राजगढ़
	तारानगर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, तारानगर	तहसीलदार, तारानगर
	सरदारशहर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सरदारशहर	तहसीलदार, सरदारशहर
	चूरू	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चूरू	तहसीलदार, चूरू
	रतनगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रतनगढ़	तहसीलदार, रतनगढ़
	सुजानगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़	तहसीलदार, सुजानगढ़
12. दौसा	दौसा	उप खण्ड अधिकारी, दौसा	तहसीलदार, दौसा
	लालसोट	उप खण्ड अधिकारी, लालसोट	तहसीलदार, लालसोट
	बांदीकुई	उप खण्ड अधिकारी, बांदीकुई	तहसीलदार, बसवा
	सिकराय	उप खण्ड अधिकारी, सिकराय	तहसीलदार, सिकराय
	महवा	उप खण्ड अधिकारी, महवा	तहसीलदार, महवा
13. धौलपुर	धौलपुर	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), धौलपुर	तहसीलदार (कार्यपालक मजिस्ट्रेट), धौलपुर एवं सैपड
	राजाखेडा	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), राजाखेडा	तहसीलदार (कार्यपालक मजि.), राजाखेडा
	बाड़ी	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), बाड़ी	तहसीलदार (कार्यपालक मजि.), बाड़ी
	बसेडी	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), बसेडी	तहसीलदार (कार्यपालक मजिस्ट्रेट), बसेडी एवं सरमथुरा
14. डूंगरपुर	सागवाडा	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सागवाडा	तहसीलदार, सागवाडा
	सीमलवाडा	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजि., सीमलवाडा	तहसीलदार, सीमलवाडा
	डूंगरपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर	तहसीलदार, डूंगरपुर
	बिछीवाडा	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बिछीवाडा	तहसीलदार, बिछीवाडा
	आसपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आसपुर	तहसीलदार, आसपुर

जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2	3	4
15. गंगानगर	सादुलशहर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजि. सादुलशहर	तहसीलदार, सादुलशहर एवं गंगानगर
	गंगानगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजि. गंगानगर	तहसीलदार, गंगानगर
	करणपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजि., करणपुर	तहसीलदार, करणपुर
	पदमपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजि., पदमपुर	तहसीलदार, पदमपुर
	सूरतगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजि., सूरतगढ़	तहसीलदार, सूरतगढ़
	रायसिंहनगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजि., रायसिंहनगर	तहसीलदार, रायसिंहनगर
	अनूपगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजि., अनूपगढ़	तहसीलदार, अनूपगढ़ एवं विजयनगर
	घड़साना	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजि., घड़साना	तहसीलदार, घड़साना एवं अनूपगढ़
16. हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़	तहसीलदार, हनुमानगढ़
	संगरिया	उपखण्ड अधिकारी, संगरिया	तहसीलदार, संगरिया
	टीबी	उपखण्ड अधिकारी, टीबी	तहसीलदार, टीबी
	पीलीबंगा	उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा	तहसीलदार, पीलीबंगा
	नोहर	उपखण्ड अधिकारी, नोहर	तहसीलदार, नोहर
	भादरा	उपखण्ड अधिकारी, भादरा	तहसीलदार, भादरा
	रावतसर	उपखण्ड अधिकारी, रावतसर	तहसीलदार, रावतसर
17. जयपुर	झोटवाड़ा	उप खण्ड अधिकारी, जयपुर (प्रथम),	तहसीलदार, जयपुर
	आमेर	उप खण्ड अधिकारी, आमेर	तहसीलदार, आमेर
	सांगानेर	उप खण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय)	तहसीलदार, सांगानेर
	बरसी	उप खण्ड अधिकारी, बरसी	तहसीलदार, बरसी
	चाकसू	उप खण्ड अधिकारी, चाकसू	तहसीलदार, चाकसू
	फागी	उप खण्ड अधिकारी, फागी	तहसीलदार, फागी
	दूदू	उप खण्ड अधिकारी, दूदू	तहसीलदार, मौजमाबाद
	सांभर लेक	उप खण्ड अधिकारी, सांभर	तहसीलदार, फुलेरा (मुख्यालय सांभर)
	गोविन्दगढ़	उप खण्ड अधिकारी, चौमू	तहसीलदार, चौमू
	जमवारामगढ़	उप खण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़	तहसीलदार, जमवारामगढ़
	शाहपुरा	उप खण्ड अधिकारी, शाहपुरा	तहसीलदार, शाहपुरा
	विराटनगर	उप खण्ड अधिकारी, विराटनगर	तहसीलदार, विराटनगर
18. जैसलमेर	कोटपूतली	उप खण्ड अधिकारी, कोटपूतली	तहसीलदार, कोटपूतली
	जैसलमेर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	तहसीलदार, जैसलमेर
	सम मु. जैसलमेर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, फतेहगढ़	तहसीलदार, फतेहगढ़
	सांकड़ा पोकरण मु.	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पोकरण	तहसीलदार, पोकरण
19. जालौर	आहोरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आहोरा	तहसीलदार, आहोरा
	जालौर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जालौर	तहसीलदार, जालौर
	सायला	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सायला	तहसीलदार, सायला
	भीनमाल	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भीनमाल	तहसीलदार, भीनमाल
	जसवंतपुरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जसवंतपुरा	तहसीलदार, जसवंतपुरा
	रानीवाड़ा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रानीवाड़ा	तहसीलदार, रानीवाड़ा
	सांचौर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांचौर	तहसीलदार, सांचौर
	चितलवाना	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चितलवाना	तहसीलदार, चितलवाना
20. झालावाड़	झालरापाटन	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, झालावाड़	तहसीलदार, झालरापाटन तहसीलदार, प्रवपहाड़
	बकानी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, अकलेरा	तहसीलदार, असनावर एवं अकलेरा
	खानपुर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खानपुर	तहसीलदार, खानपुर
	मनोहरथाना	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना	तहसीलदार, मनोहरथाना एवं अकलेरा
	पिड़ावा मु. सुनेल	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पिड़ावा	तहसीलदार, पिड़ावा
	डग	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भवानीमंडी	तहसीलदार, गंगधार एवं पचपहाड़

जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2	3	4
21. झुन्झुनू	झुन्झुनू	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	तहसीलदार, झुन्झुनू
	अलसीसर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मलसीसर	तहसीलदार, मलसीसर
	चिड़ावा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चिड़ावा	तहसीलदार, चिड़ावा
	सूरजगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सूरजगढ़	तहसीलदार, सूरजगढ़
	खेतड़ी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खेतड़ी	तहसीलदार, खेतड़ी
	उदयपुरवाटी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी	तहसीलदार, उदयपुरवाटी
	नवलगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नवलगढ़	तहसीलदार, नवलगढ़
22. जोधपुर	बुहाना	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बुहाना	तहसीलदार, बुहाना
	फलोदी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, फलोदी	तहसीलदार, फलोदी
	बाप	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बाप	तहसीलदार, बाप
	ओसियां	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, ओसियां	तहसीलदार, ओसियां
	बावड़ी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बावड़ी	तहसीलदार, बावड़ी
	बिलाडा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बिलाडा	तहसीलदार, बिलाडा
	भोपालगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भोपालगढ़	तहसीलदार, भोपालगढ़
	शेरगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, शेरगढ़	तहसीलदार, शेरगढ़
	बालेसर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बालेसर	तहसीलदार, बालेसर
	मण्डोर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जोधपुर	तहसीलदार, जोधपुर
23. करौली	लूणी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, लूणी	तहसीलदार, लूणी
	करौली	उप जिला कलक्टर (एस.डी.एम.), करौली	तहसीलदार, करौली
	सपोटरा	उप जिला कलक्टर (एस.डी.एम.), सपोटरा	तहसीलदार, सपोटरा
	हिण्डौन	उप जिला कलक्टर (एस.डी.एम.), हिण्डौन	तहसीलदार, हिण्डौन
	टोडाभीम	उप जिला कलक्टर (एस.डी.एम.), टोडाभीम	तहसीलदार, टोडाभीम
24. कोटा	नादौती	उप जिला कलक्टर (एस.डी.एम.), नादौती	तहसीलदार, नादौती
	लाडपुरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा	तहसीलदार, लाडपुरा
	सुल्तानपुर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद	तहसीलदार, दीगोद
	इटावा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, इटावा	तहसीलदार, पीपलदा
	सांगोद	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांगोद	तहसीलदार, सांगोद
25. नागौर	खैराबाद	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी	तहसीलदार, रामगंजमण्डी
	नागौर	उप खण्ड अधिकारी, नागौर	तहसीलदार, नागौर
	मूण्डवा	उप खण्ड अधिकारी, खीवसर	तहसीलदार, मूण्डवा
	जायल	उप खण्ड अधिकारी, जायल	तहसीलदार, जायल
	मेड़ता	उप खण्ड अधिकारी, मेड़ता	तहसीलदार, मेड़ता
	रियां	उप खण्ड अधिकारी, रियां	तहसीलदार, रियां
	डेगाना	उप खण्ड अधिकारी, डेगाना	तहसीलदार, डेगाना
	डीडवाना	उप खण्ड अधिकारी, डीडवाना	तहसीलदार, डीडवाना
	लाडनू	उप खण्ड अधिकारी, लाडनू	तहसीलदार, लाडनू
	परबतसर	उप खण्ड अधिकारी, परबतसर	तहसीलदार, परबतसर
	मकराना	उप खण्ड अधिकारी, मकराना	तहसीलदार, मकराना
	कुचामन	उप खण्ड अधिकारी, कुचामन	तहसीलदार, कुचामन
26. पाली	जैतारण	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण	तहसीलदार, जैतारण
	रायपुर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रायपुर	तहसीलदार, रायपुर
	सोजतसिटी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	तहसीलदार, सोजत
	मारवाड जंक्शन	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मारवाड जंक्शन	तहसीलदार, मारवाड जंक्शन
	देसूरी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, देसूरी	तहसीलदार, देसूरी
	बाली	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बाली	तहसीलदार, बाली
	रानी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रानी	तहसीलदार, रानी
	सुमेरपुर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर	तहसीलदार, सुमेरपुर
	पाली	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पाली	तहसीलदार, पाली
	रोहट	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रोहट	तहसीलदार, रोहट

जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2	3	4
27. प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़	तहसीलदार, प्रतापगढ़
	अरनोद	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, अरनोद	तहसीलदार, अरनोद
	छोटीसादड़ी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, छोटीसादड़ी	तहसीलदार, छोटीसादड़ी
	धरियावद	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, धरियावद	तहसीलदार, धरियावद
	पीपलखूट	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पीपलखूट	तहसीलदार, पीपलखूट
28. राजसमन्द	राजसमन्द	उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द	तहसीलदार, राजसमन्द
	खमनोर	उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा	तहसीलदार, नाथद्वारा
	आमेट	उपखण्ड अधिकारी, आमेट	तहसीलदार, आमेट
	देवगढ़	उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़	तहसीलदार, देवगढ़
	कुम्भलगढ़	उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़	तहसीलदार, कुम्भलगढ़
	रेलमगरा	उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा	तहसीलदार, रेलमगरा
	भीम	उपखण्ड अधिकारी, भीम	तहसीलदार, भीम
	सवाईमाधोपुर	उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर	तहसीलदार, सवाई माधोपुर
29. सवाई माधोपुर	खण्डार	उप जिला कलक्टर, खण्डार	तहसीलदार, खण्डार
	बौली	उप जिला कलक्टर, बौली	तहसीलदार, बौली
	बामनवास	उप जिला कलक्टर, बामनवास	तहसीलदार, बामनवास
	गंगापुर	उप जिला कलक्टर, गंगापुर	तहसीलदार, गंगापुर एवं वजीरपुर
	फतेहपुर	उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर	तहसीलदार, फतेहपुर
30. सीकर	लक्ष्मणगढ़	उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़	तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़
	पिपराली	उपखण्ड अधिकारी, सीकर	तहसीलदार, सीकर
	धोद	उपखण्ड अधिकारी, धोद	तहसीलदार, धोद
	दांतासमगढ़	उपखण्ड अधिकारी, दांतासमगढ़	तहसीलदार, दांतासमगढ़
	खण्डेला	उपखण्ड अधिकारी, खण्डेला	तहसीलदार, खण्डेला
	नीमकाथाना	उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना	तहसीलदार, नीमकाथाना
	श्रीमाधोपुर	उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	तहसीलदार, श्रीमाधोपुर
	सिरोही	उपखण्ड अधिकारी, सिरोही	तहसीलदार, सिरोही
31. सिरोही	शिवगंज	उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज	तहसीलदार, शिवगंज
	पिण्डवाडा	उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा	तहसीलदार, पिण्डवाडा
	रेवदर	उपखण्ड अधिकारी, रेवदर	तहसीलदार, रेवदर
	आबूरोड	उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड	तहसीलदार, आबूरोड
	टोंक	उपखण्ड अधिकारी, टोंक	तहसीलदार, टोंक
32. टोंक	निवाई	उपखण्ड अधिकारी, निवाई	तहसीलदार, निवाई
	मालपुरा	उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा	तहसीलदार, मालपुरा
	टोडारायसिंह	उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह	तहसीलदार, टोडारायसिंह
	देवली	उपखण्ड अधिकारी, देवली	तहसीलदार, देवली
	उनियारा	उपखण्ड अधिकारी, उनियारा	तहसीलदार, उनियारा, मु0 अलीगढ़

जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2	3	4
33. उदयपुर	गिर्वा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गिर्वा	तहसीलदार, गिर्वा
	बडगांव	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बडगांव	तहसीलदार, बडगांव
	गोगुन्दा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोगुन्दा	तहसीलदार, गोगुन्दा
	झाडोल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट झाडोल	तहसीलदार, झाडोल
	खेरवाडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खेरवाडा	तहसीलदार, खेरवाडा
	सराडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सराडा	तहसीलदार, सराडा
	सलुम्बर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सलुम्बर	तहसीलदार, सलुम्बर
	लसाडिया	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लसाडिया	तहसीलदार, लसाडिया
	भीण्डर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट वल्लभनगर	तहसीलदार, वल्लभनगर
	मावली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मावली	तहसीलदार, मावली
	कोटडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटडा	तहसीलदार, कोटडा

आज्ञा से,


(अशोक कुमार जैन)
29.04.2014

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.4(3)(1)पंचा/रानिआ/14/2148-55

जयपुर, दिनांक: 29.04.14

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, सचिव/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), राजस्थान।
6. समस्त नि. रजि. अधिकारी/सहा. नि. रजि. अधिकारी मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी।
7. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।
8. समस्त शाखायें, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
9. गार्ड फाईल।


(निर्मल कुमार जैन)
सहायक सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

State Election Commission Rajasthan				
FORMAT - B1				
Name of Panchayat Samiti:				
Name of Distt./Zila Parishad:				
Contact Name / Email / Number (ERO):				
Contact Name / Email / Number (IA):				
(please provide Parts from Assembly Constituency which are used for Grampanchayat Elections)				
version,1.1				
1	2	3	4	5
Sr. No.	Name of Grampanchayat	Assembly Constituency No.	From Part No.	To Part No.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN						
Draft Electoral Roll Control Chart						
Name of Gram Panchayat:						
Name of Panchayat Samiti:						
Name of Distt./Zila Parishad:						
						FORMAT - C1
Please use this template to create electoral rolls. Please enter values in english. Please do not change or make copies of this template. Please start filling the template from Sr. No. 1						version,1.1
1	2	3	4	5	6	7
Sr. No.	Assembly Constituency No.	Assembly Part No.	Voter		Ward No.	Total
			From	To		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

State Election Commission Rajasthan
Format - D1

Name of Panchayat Samiti: Name of Distt./Zilla Parishad:

(please give details of Grampanchayat Wards and their corresponding Panchayat Samiti and Zilla Parishad Constituency Numbers)

version 1.1

1	2	3	4	5	6
Sr. No.	Gram Panchayat Ward No.	Name of Grampanchayat	Polling Station No.	Panchayat Samiti Constituency No.	Zilla Parishad Constituency No.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					

निर्वाचक नामावली, 2014

जिला/जिला परिषद का नाम :	जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र सं.										
पंचायत समिति का नाम :	पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र सं.										
पंचायत सर्किल का नाम व संख्याक:	वार्ड सं.										
विधान सभा क्षेत्र का नाम व संख्या :											
1. पुनरीक्षण का विवरण : पुनरीक्षण का वर्ष : पुनरीक्षण का प्रकार : अर्हता तिथि : प्रारूप प्रकाशन की तिथि : अंतिम प्रकाशन की तिथि :											
2. वार्ड का विवरण : <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>गांव का नाम</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>पटवार सर्किल</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>कानूनगों सर्किल</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>तहसील</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>जिला</td> <td>:</td> </tr> </table>		गांव का नाम	:	पटवार सर्किल	:	कानूनगों सर्किल	:	तहसील	:	जिला	:
गांव का नाम	:										
पटवार सर्किल	:										
कानूनगों सर्किल	:										
तहसील	:										
जिला	:										
3. मतदान केन्द्र का विवरण :											
मतदान केन्द्र की संख्या व नाम :											
मतदान केन्द्र के भवन का नाम व पता :											
4. मतदाताओं का विवरण :											
आरंभिक कम संख्या	अंतिम कम संख्या	मतदाताओं की संख्या									
		पुरुष	स्त्री	अन्य	योग						

पृ. सं. 1/4

निर्वाचक नामावली, 2014

जिला/जिला परिषद का नाम :	जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र सं.
पंचायत समिति का नाम :	पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र सं.
पंचायत सर्किल का नाम व संख्याक:	वार्ड सं.
विधान सभा क्षेत्र का नाम व संख्या :	

(वार्ड का नजरी नक्शा अंकित किया जाना है)

निर्वाचक नामावली, 2014

जिला/जिला परिषद का नाम :	जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र सं.
पंचायत समिति का नाम :	पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र सं.
पंचायत सर्किल का नाम व संख्याक:	वार्ड सं.
विधान सभा क्षेत्र का नाम व संख्या :	
गाँव का नाम :	

1.	2.	3.
4.	5.	6.
7.	8.	9.
10.	11.	12.
13.	14.	15.
16.	17.	18.
19.	20.	21.
22.	23.	24.
25.	26.	27.
28.	29.	30.

निर्वाचक नामावली, 2014

जिला/जिला परिषद का नाम :	जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र सं.
पंचायत समिति का नाम :	पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र सं.
पंचायत सर्किल का नाम व संख्याक:	वार्ड सं.
विधान सभा क्षेत्र का नाम व संख्या :	
गाँव का नाम :	

31.	32.	33.
34.	35.	36.
37.	38.	39.
40.	41.	42.
43.	44.	45.
46.	47.	48.
49.	50.	51.
52.	53.	54.
55.	56.	57.
58.	59.	60.

पृ. सं. 4/4

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (स्थान)

नोटिस

पंचायत सर्किल के वार्डों/पंचायत समिति/जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशन

जिला परिषद/ पंचायत समिति
पंचायत सर्किल

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के अन्तर्गत तैयार की गई उक्त पंचायत सर्किल के वार्ड संख्यांक/पंचायत समिति/जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक की मतदाता सूची सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है।

यदि कोई व्यक्ति इस सूची में नाम जुड़ाना चाहे, या इस सूची में सम्मिलित किसी नाम पर आपत्ति करना चाहे या विद्यमान प्रविष्टियों के किसी विवरण में संशोधन कराना चाहे तो वह इस नोटिस की तारीख से 10 दिन यानि दिनांक को 3 बजे दोपहर तक लिखित आवेदन के रूप में निर्धारित प्रारूप में दावे/आपत्ति निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसील) को प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे दावों व आपत्तियों की सुनवाई तारीख को बजे निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में या (स्थान) पर होगी।

यह सूची निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में या पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के कार्यालय में कार्यालय के समय में निःशुल्क निरीक्षण की जा सकती है।

स्थान :

तारीख

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

प्रपत्र-3
दावों की सूची

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्याक	दावेदार का नाम	पिता/पति/माता का नाम	निवास स्थान	सुनवाई की तारीख, समय और स्थान
1	2	3	4	5	6 *

प्रपत्र-4
नामों को सम्मिलित किये जाने बाबत आपत्तियों की सूची

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्याक	आपत्तिकर्ता का पूरा नाम	जिस नाम की बाबत आपत्ति की गई है उसकी विशिष्टियां				संक्षेप में आपत्ति के कारण	सुनवाई की तारीख, समय व स्थान
			पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	क्रम संख्या	पूरा नाम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 *

प्रपत्र-5
प्रविष्टियों में की गई विशिष्टियों की बाबत आक्षेपों की सूची

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्याक	आपत्तिकर्ता निर्वाचक का पूरा नाम	प्रविष्टि का विवरण			आपत्ति की प्रकृति	सुनवाई की तारीख, समय व स्थान
			पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	क्रम संख्या मतदाता सूची		
1	2	3	4	5	6	7	8 *

*निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निश्चित सुनवाई की तारीख, समय व स्थान भरा जाए।

प्रपत्र-6

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (स्थान)

नोटिस

पंचायत सर्किल के वार्डों/पंचायत समिति/जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की अंतिम प्रकाशन की सूचना

जिला परिषद/ पंचायत समिति
पंचायत सर्किल

एतद् द्वारा लोक साधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त पंचायत सर्किल के वार्ड संख्यांक/पंचायत समिति/जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक की मतदाता सूची के प्रारूप में किये गये संशोधनों की सूची राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के उपबन्धों के अनुसार तैयार की गई है और उक्त सूची की एक प्रति संशोधनों की उक्त सूची सहित प्रकाशित कर दी गई है और मेरे कार्यालय व उक्त पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद मुख्यालय में निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी।

स्थान :

तारीख

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

PANCHAYAT GENERAL ELECTIONS, 2015

STATEMENT SHOWING DRAFT VOTERS, CLAIMS AND OBJECTIONS, DISPOSAL THEREOF AND FINAL VOTERS

NAME OF DISTRICT :-

NAME OF PANCHAYAT SAMITI :-

[illegible]

प्रपत्र-7

प्रत्येक प्रगणक द्वारा भर कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में दिया जावे।

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (1) जिला परिषद का नाम: | (2) जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक: |
| (3) पंचायत समिति का नाम: | (4) पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक: |
| (5) पंचायत सर्किल का नाम व संख्याक: | (6) कुल मतदाता (अर्हता की तारीख 1.1.2014 के आधार पर) |

मतदाता के वार्डवार आंकड़े

वार्ड की क्रम संख्या	कुल मतदाता			अनुसूचित जाति मतदाता	अनुसूचित जनजाति मतदाता	वि.वि.
	पुरुष	स्त्री	योग			
1	2	3	4	5	6	7

योग

दिनांक

प्रगणक के हस्ताक्षर मय नाम व
पदनाम प्रतिहस्ताक्षरित

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर मय नाम व पदनाम